



प्रधानाचार्य कार्यालय
महाराजा सुहेल देव स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय
एवं महर्षि बालार्क चिकित्सालय बहराइच- 271801
फोन नं० : 05252-237621 / 237265



वेबसाइट: www.asmcbrh.edu.in

ई-मेल:- principal.medical.college.brh@gmail.com

पत्रांक संख्या: महा0सु0स्व0रा0चि0महा0 / ए0का0 / 2022-23 / 512

दिनांक: 15 / 06 / 2022

सेवायोजन विज्ञप्ति

महाराजा सुहेल देव स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं महर्षि बालार्क चिकित्सालय, बहराइच, के आचार्य, सह-आचार्य एवं सहायक-आचार्य के रिक्त पदों को (Walk-in-Interview) पद्धति से संविदा (Contractual) के आधार पर भरे जाने के हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों की संख्या निम्नवत् है-

क्र० सं०	विशिष्टता का नाम	आचार्य				सह-आचार्य				सहायक-आचार्य			
		सामान्य	अ०पि० वर्ग	अनुसूचित जाति	ई०डब्लू० एस०	सामान्य	अ०पि० वर्ग	अनुसूचित जाति	ई०डब्लू० एस०	सामान्य	अ०पि० वर्ग	अनुसूचित जाति	ई०डब्लू० एस०
1.	आब्स एण्ड गायनी	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—
2.	एनेस्थिसियोलॉजी	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—
3.	कम्युनिटी मेडिसिन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
4.	जनरल मेडिसिन	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—
5.	जनरल सर्जरी	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
6.	पीडियाट्रिक्स	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
7.	पैथोलॉजी	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
8.	फार्माकोलाजी	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
9.	माइक्रोबायोलॉजी	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
10.	रेडियो डायग्नोसिस	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—
	कुल पद	3	3	1	—	3	4	3	—	2	3	3	—

अर्हताएं एवं वेतनमान:-

- शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताहार्थे- "As per MCI / N M C."
- संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्यों को शासनादेश संख्या-104/2016/5044(1) 271-1-2019-जी-63/2008 दिनांक 21.12.2019 के अनुसार नियत वेतन रू० 1,35,000/-, सह-आचार्यों को नियत वेतन रू० 1,20,000/- एवं सहायक-आचार्यों का नियत वेतन रू० 90,000/- प्रतिमाह है। वेतन के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा। शासकीय पत्र संख्या 250/2018/4067/71-1-2017-जी-63/2008 चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 20 सितम्बर, 2018 के द्वारा राजकीय चिकित्सा शैक्षणिक संस्थाओं के सेवानिवृत्त आचार्य को संविदा के आधार पर आचार्य के पद पर नियुक्ति करने हेतु, निर्गत शर्तों के अधीन नियत वेतन रू० 1,20,000/- प्रतिमाह दिया जायेगा। सेवा शर्तों विषयक विवरण महानिदेशालय एवं कालेज की वेबसाइट पर प्रदर्शित है। आवेदक को Medical College of India, Minimum, Qualification for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1999 द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हतायें एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते, बोनस एवं पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा।
- चिकित्सा शिक्षक को पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु 70 वर्ष से कम आयु सीमा के अभ्यर्थी अभ्यर्थन कर सकते हैं।
- एन०एम०सी० नई दिल्ली द्वारा सहायक-आचार्य पद के लिये 01 वर्ष का एस०आर० का अनुभव होना अनिवार्य होगा।
- ओ०पी०डी० के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
- प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षकों को प्राइवेट प्रैक्टिस करने का स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
- कोई भी चिकित्सा शिक्षक मरीजों को प्राइवेट में देखने के लिये बाध्य नहीं करेगा।
- प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेज में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिये हमेशा उपलब्ध रहना होगा।



प्रधानाचार्य कार्यालय
महाराजा सुहेल देव स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय
एवं महर्षि बालार्क चिकित्सालय बहराइच- 271801
फोन नं० : 05252-237621 / 237265



वेबसाइट: www.asmcbrrh.edu.in

ई-मेल:- principal.medical.college.brh@gmail.com

- उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नहीं होंगे।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की नियमित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी समाप्त की जा सकती हैं।
- चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष का होगा एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात नियमित शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी सन्तोषजनक सेवा के आधार पर सेवाकाल पुनः बढ़ाया जा सकेगा।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों के लिये आवश्यक होगा कि करार के 15 दिन के भीतर सम्बन्धित मेडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक कालावधि के लिये किसी भी प्रकार के पेंशन संबंधी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे ऐसे कालावधि के लिये बोनस देय नहीं होगा।
- चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमितीकरण के लिये हकदार देय नहीं होगा।
- संविदा पर आधारित नियुक्त किसी भी एक पक्ष और किसी भी समय एक माह की सूचना या एक माह का संविदा वेतन भुगतान करके समाप्त की जा सकी है।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अन्य सेवा शर्तें ऐसी होगी जैसे करार या अनुबन्ध पत्र में विनिर्दिष्ट की जाये। संविदा पर कार्यरत चिकित्सा, शिक्षक द्वारा अनुबन्ध या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह भविष्य में अपने कार्य एवं कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमितीकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं करेंगे और न ही उन्हें निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य होगी।
- साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी इस आशय का घोषणा/शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों का स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा।
- पदों की संख्या घटायी या बढ़ायी जा सकती है।
- इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक-17.06.2022 को एवं तदोपरान्त प्रत्येक मंगलवार व शुक्रवार को अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपस्थित हो सकते हैं, तथा अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का **TADA** देय नहीं होगा।

faor
प्रभारी चयन प्रकोष्ठ

डा० (प्रो०) अनिल के० झा
एम० एस० (जनरल सर्जरी)
प्रधानाचार्य
महाराजा सुहेल देव स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय
एवं महर्षि बालार्क चिकित्सालय बहराइच- 271801

